अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मसूदा

श्री पूसालाल वगैरह बनाम श्री लाभु वगैरह

किस्म मुकदमा 212 आर0टी0ए0 नंबर 34 सन्..2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.11.2020	प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि मौजा काशीपुरा पटवार हल्का धानीखेडा तहसील बिजयनगर में स्थित साबिक खसरा नंबर 120 हाल खसरा नंबर 117, 118, 132, 133, 135 की भूमियो भैरू के अलॉट हुई थी। प्रार्थीगण के पूर्वज दाना रेबारी के एक मात्र पुत्र भैरू ही था उसके फोत होने के बाद रतना, बहादुर व धर्मा वारीसान है। जिनका प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा है। तथा मिश्री धूली जी का पुत्र था उसको अलग से भूमि अलॉट की गई थी किन्तु उक्त मिश्री पुत्र धूला ने गलत तरीके से भैरू के साथ भैरू, मिश्री पिसरान दाना के नाम से अपना जुडवा दिया जो मिश्री दाना जी का पुत्र नही था। प्रार्थीगण को उक्त गलत इन्द्राजो की जानकारी होने पर नकले निकलावाई। तथा उक्त दुरूस्ती बाबत दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, तथा प्रार्थीगण के हक में प्रथम दृष्टिया मामला बनता है, और सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के हक में बनना पाया जाता है, अतः प्रार्थीगण के हक में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की कि जावे कि विवादित भूमि खसरा नंबर 118 व 132 को बेचान हस्तांतरण आदि नही करे। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश नही कर कथन किया है, कि राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति रखने बाबत अपनी सहमति दिनांक 19.11.2020 को दी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन अप्रार्थीगण ने प्रार्थना का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया तथा अपनी सहमति देते हुये राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखने का कथन किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के हक में प्रथमदृष्टिया केस व सहुलियत का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु होना पाया जाता है। तथा वादीगण व प्रतिवादी[illegible] को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के [illegible] तक पाबंद किया जाता है, कि खसरा नंबर 118 व 132 [illegible] भूमिया की राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति [illegible] अपना अपना वहन करे। अतः आदेश सुनाया गया। (मोहनलाल खटनालिया) आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी, मसूदा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.01.14 16:13:41 IST
Reason: SelfAttested

(मोहनलाल खटनालिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.